Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 6.247 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 12 | ISSUE : 8 | AUGUST 2026

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में डीएवाई - एनआरएलएम की भूमिका

श्री समीर कुमार गुप्ता [1] | प्रो. (डॉ.) प्रेम स्वरूप त्रिपाठी [2]

[1] **असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद.**

[2] **डीबीएस कॉलेज गोविंद नगर कानपुर.**

ABSTRACT:

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की पुनर्संरचना करते हुए उसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) नाम से नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका नाम दिनांक 29 मार्च 2016 को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कर दिया गया है।डीएवाई-एनआरएलएम भारत सरकार का गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं की मजबूत संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से गरीबी कम करने को बढ़ावा देने, और कई वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं का उपयोग कर पाने के लिए इन संस्थाओं को सक्षम बनाने संबंधी प्रमुख कार्यक्रम है। डीएवाई-एनआरएलएम एक अत्यंत गहन कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है और इसमें गरीबों को कार्यात्मक प्रभावी समुदाय के स्वामित्व वाली संस्थाओं में जुटाने, उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उनकी आजीविका को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय और भौतिक संसाधनों के गहन प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।आपसी समानता के आधार पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का एक साथ आना डीएवाई-एनआरएलएम समुदाय संस्थागत डिजाइन का प्राथमिक आधार है। डीएवाई-एनआरएलएम का ध्यान स्वयं सहायता समूहों और गांवों एवं उच्च स्तरों पर उनके फेडरेशनों सहित गरीब महिलाओं के संस्थानों के निर्माण, पोषण और सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इसके अलावा, डीएवाई-एनआरएलएम में ग्रामीण गरीबों की आजीविका संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाता है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत बनी समुदाय संस्थागत संरचना द्वारा एक बहुत लंबी अवधि के लिए और अधिक गहनता से समर्थन प्रदान किया जाता है।

KEYWORDS:

डीएवाई-एनआरएलएम,वित्तीय समावेशन,आजीविका संवर्धन,परिक्रामी निधि,सामुदायिकनिवेश निधि,महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
6th August 2026	7th August 2026

प्रस्तावना

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता रहा है। डीएवाई–एनआरएलएम के अनुसार लैंगिक असमानता को दूर करना, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की पूव–आवश्यकता है। यह कार्यक्रम लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रथाओं की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए महिलाओं के समूहों के लिए सामुदायिक स्तर पर सहयोग का एक मंच तैयार करता है। ये मंच मुख्य रूप से भेदभाव के मुद्दों की पहचान,स्वीकृति और समाधान करके समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने का कार्य करते हैं।[1]

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–एनआरएलएम (जिसका नाम 29 मार्च 2016 को बदल कर दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया)[2] का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनकी तब तक लगातार पोषण और मदद करना है जब तक कि उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए और वे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके गरीबी से बाहर ना आ जाएं। डीएवाई–एनआरएलएम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका वित्तपोषण वर्तमान में केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। यह अनुपात सिक्किम और जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 90:10 है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में केंद्र लागत का 100प्रति ात वहन करता है। डीएवाई–एनआरएलएम निधियों का अंतर–राज्य वितरण अंतर–गरीबी अनुपात के आधार पर तय किया जाता है परंतु पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

डीएवाई–एनआरएलएम के प्रमुख सिद्धांत

डीएवाई–एनआरएलएम यह मानकर चलता है कि गरीब ग्रामीण महिलाओं को अपने संस्थानों में संगठित करना, आजीविका गतिविधियों को सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है। डीएवाई–एनआरएलएम निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है–

- गरीबो में गरीबी से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है और उनमें जन्मजात क्षमताएं भी होती है। गरीबों की इन क्षमताओं को उजागर करने के लिए गरीबों की सामाजिक एकजुटता और मजबूत संस्थानों का निर्माण महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता, मजबूत संस्थानों के निर्माण और सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक बाहरी समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना की आवश्यकता है।
- ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए दीर्घकालिक और निरंतर वित्तीय और आजीविका सहायता की आवश्यकता है।
- गरीबों का क्षमता निर्माण और पोषण जब स्वयं गरीबों द्वारा किया जाता है तब यह सबसे प्रभावी और संपोषणीय होता है।
- गरीबों के सतत विकास के लिए कृषि के साथ गैर कृषि क्षेत्रों में कई आजीविकाओं संपत्ति के साथ कौशल आधारित आजीविका को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

डीएवाई–एनआरएलएम के घटक

डीएवाई–एनआरएलएम के निम्नलिखित चार मुख्य घटक उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सहायक है[3]–

1. संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण,

2. वित्तीय समावेशन,
3. आजीविका संवर्धन और
4. तालमेल तथा सहभागिता।

1. संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों और गरीबों की भागीदारी पहचान (पीआईपी) की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी–10 से 20 व्यक्तियों का एक समूह परंतु दुर्गम क्षेत्रों, विकलांग व्यक्तियों वाले समूहों और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम पाँच व्यक्ति का एक समूह) के दायरे में लाने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों को अपनाने के लिए समर्थन देने के उद्देश्य से एनआरएलएम को 2011 से मिशन मोड में देश भर में लागू किया जा रहा है।[4] स्वयं सहायता समूह के गठन के संबंध में उल्लेखनीय है कि केवल विकलांग व्यक्तियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों जैसे बुजुर्गों और ट्रांसजेंडरों के साथ समूह का गठन करने की स्थिति में समूह में पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं। इन समूहों को ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनो में संगठित किया जाता है। इसके अलावा 10 से 15 स्वैच्छिक संगठनों को क्लस्टर स्तरीय संघ में शामिल किया जाता है। ये सामुदायिक संस्थाएँ वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधनों तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करतो है। इन संस्थाओं को निरंतर तथा गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसके लिए एक बहुआयामी रणनीति का उपयोग किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों की क्षमता निर्माण के लिये सामुदायिक पेशेवरों तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं के उपयोग पर बल दिया जाता है। मिशन के अंतर्गत जानकारी का प्रचार प्रसार और क्षमता निर्माण प्रभावी रूप से करने के लिए सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का व्यापक उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में डीएवाई–एनआरएलएम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 745 जिलों के 7143 ब्लाकों में लागू किया गया।डीएवाई–एनआरएलएम ने अब तक 10.05 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया है। इन स्वयं सहायता समूहों को 5.96 लाख ग्राम संगठनो (वीओ) और 32439 क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) मे संगठित किया गया है। स्पष्ट है कि यह डीएवाई–एनआरएलएम पूरे देश में व्यापक रूप से फैल गया है।[5]

डीएवाई–एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमे प्रतिष्ठित संसाधन संगठनों, शिक्षाविदों और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सहभागिता की जाती है। ये पहल स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, क्लस्टर स्तरीय संघों, उत्पादक समूह (पीजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना एसएचजी सदस्यों, संघ के नेताओं और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) आदि के कौशल को बढ़ाना है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीतियों, लक्षित अभियानों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से सीआरपी की भागीदारी का उपयोग करता है, जिससे व्यापक पहुँच और प्रभाव सुनिश्चित होता है। अब तक मिशन ने 149 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों बैंकिंग, कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वन क्षेत्र आदि में प्रशिक्षित और तैनात किया है।[6]

2. वित्तीय समावेशन

"गरीबों को बैंकिंग प्रणाली का पसंदीदा ग्राहक बनाना और बैंक ऋण जुटाना", डीएवाई–एनआरएलएम के वित्तीय समावेशन और निवेश रणनीति का मूल है। डीएवाई–एनआरएलएम गरीबों के लिए उपभोग को सुचारु बनाने, ऋण जाल से बाहर आने और आजीविका परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए सस्ती लागत पर विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "वित्तीय समावेशन मुख्यधारा के वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पक्ष पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से समाज के सबसे कमजोर समूहों को उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है"।[7] डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तीय समावेशन प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों को बैंको से जोड़ने और ऋण सहित सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाने में सहायक होता है। यह वित्तीय समावेशन की मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। मांग पक्ष पर गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान की जाती है। आपूर्ति पक्ष पर वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करके, डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करके, बिज़नेस कारेस्पॉन्डेंट तथा बैंक मित्र जैसे सामुदायिक सुविधादाताओं के साथ वित्तीय समावेशन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से एनपीए में गिरावट आई है।[8]

डीएवाई–एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों को स्थायी संसाधन के रूप में परिक्रामी निधि (आरएफ–20 हजार से 30 हजार प्रति स्वयं सहायता समूह)[9] और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) आदि के रूप में उनके वित्तीय आधार को मजबूत करने और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए धन प्रदान करता है।डीएवाई–एनआरएलएम ने अब तक पूंजीकरण सहायता (परिक्रामी निधि और एक निवेश निधि)के रूप में 48290 करोड़ रुपए[10]प्रदान किए गए जिससे स्वयं सहायता समूह के ऋण के इतिहास को विकसित करने में मदद मिली है।

डीएवाई एनआरएलएम महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए सशक्त बना रहा है। पिछले पाच वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण इस प्रकार है[11]–

वर्ष	स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (करोड़ रुपए में)
2019–20	70977
2020–21	84717
2021–22	120477
2022–23	157370
2023–24	207820

डीएवाई–एनआरएलएम ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुँच नहीं है, वहाँ डिजिटल वित्त को बढ़ावा दे कर और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता (बीसी) सखी के रूप में तैनात कर, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सहायक हुआ है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की 1.37 लाख महिला सदस्यों[12] को बैंकिंग संवाददाता सखियों के रूप में प्रशिक्षित तथा तैनात किया गया है जो जमा, ऋण, प्रेषण, पेंशन और छात्रवृत्ति के वितरण, मनरेगा मजदूरी और बीमा आदि सहित सभी वित्तीय व बैंकिंग सेवाओं प्रदान करती है।

डीएवाई–एनआरएलएम तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम करने के लिए सभी जिलों में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, निजी क्षेत्र के बैंको और लघु वित्त बैंकों द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चयनित एक नोडल बैंक (वर्ष 2024–25 के लिए 'इंडियन बैंक' को नोडल बैंक नामित किया गया है) के माध्यम से बैंकों के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत तीन लाख रू तक के ऋण के लिए बैंक सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। तीन लाख रू तक के बकाया क्रडिट बैलेंस के लिए बैंकों को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की एक समान दर पर अनुदानित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत तीन लाख रू से अधिक और पाच लाख रू तक के ऋण के लिए बैंक अपने एकवर्ष के एमसीएलआर या किसी अन्य बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर या 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बैंको को तीन लाख रू से अधिक और पाच लाख रू तक के बकाया क्रेडिट बैलेंस को 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की समान दर से अनुदानित किया जा रहा है।[13]

3. आजीविका संवर्धन

गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने की प्रक्रिया और वित्तीय

समावेशन के संतृप्ति स्तर पर पहुँच जाने के कारण अब सदस्यों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा के अलावा डीएवाई–एनआरएलएम के तहत ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में निम्नलिखितत विशिष्ट पहल की जा रही है–

लखपति दीदी पहल–एकीकृत कृषि क्लस्टर (आइएफसी)

आजीविका हस्तक्षेपों के अंतर्गत कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में विभिन्न आजीविका मॉडल बनाने और उन्हें इस तरह से संयोजित करने पर ज़ोर दिया जाता है कि परिवार की आय में इस तरह से वृद्धि हो की प्रत्येक परिवार वर्ष में कम से कम एक लाख रू कमाए अर्थात वह लखपति बन जाए। लखपति दीदी बनाने की इस पहल में एकीकृत कृषि क्लस्टर (आइएफसी)नामक उप–योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

एक एकीकृत कृषि क्लस्टर (आइएफसी) में दो से तीन (यह राज्य के आधार पर बदल सकता है) समीपवर्ती हस्तक्षेप गांव शामिल होते हैं, जिनमें लगभग 250 से 300 परिवार शामिल होते हैं। इन परिवारों को दो से तीन आजीविका विकल्पों (कृषि और गैर कृषि) मे सुधार के साथ मदद दी जाती है जिसमें मजबूत अग्रगामी व पश्चगामी लिंक होते है। आइएफसी रणनीति भूमिहीन, पट्टे पर जमीन लेने वाले किसानों, वर्षा आधारित कृषि करने वाले किसानों पर ध्यान केंद्रित करती है और आय वृद्धि के लिए सबसे गरीब लोगों की आजीविका हेतु एक सम्पूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लक्षित परिवारों के पास पूरे वर्ष नियमित आय प्रवाह के लिए आय के कई स्रोत हो। इस प्रक्रिया में परिसंपत्ति निर्माण के माध्यम से क्लस्टर के भीतर उत्पादन और मूल्य संवर्धन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों को कौशल प्रदान करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सस्ती दरों पर ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है। आइएफसी के माध्यम स अब तक सभी राज्य और संघ क्षेत्रों में कुल 1,15,00,274 लखपति दीदी हो गयी है।[14]

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)

वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप–घटक के रूप में आजीविका उपायों के अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को शरू किया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके सशक्त बनाना और ग्रामीण लोगों की आजीविका को भी स्थायी बनाना है। इस उप–योजना के प्रमुख उद्देश्य कृषि मे महिलाओं की लाभकारी भागीदारी को बढ़ाना और उनके लिए स्थाई कृषि आजीविका के अवसर पैदा करना, कृषि और गैर कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि में महिलाओं के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं को सरकार और अन्य एजेंसियों के इनपुट और सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए सक्षम बनाना तथा जैव विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि में महिलाओं के प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना है।

जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों के समक्ष महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना स्थायी कृषि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परियोजना सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के एक पूल के विकास में सहायक है। इससे सामुदायिक संस्थानों को उनकी गतिविधियों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया जा सकता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तीन प्रमुख क्षेत्र है–सततकृषि, गैर इमारती वन उत्पाद और मूल्य श्रृंखला विकास। पशुधन से जुड़े कार्यकलाप सतत कृषि और गैर इमारती वन उत्पाद परियोजनाओं दोनों के साथ एकीकृत है। इसके तहत अब तक लगभग 4.30 करोड़ महिला किसानों को शामिल किया गया है।[15]

कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)

छोटे और सीमांत महिला किसानों को मामूली लागत पर कृषि उपकरण और सेवाएँ किराये पर लेने में मदद करने के लिए अब तक लगभग 36205 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए गए है।[16] कस्टम हायरिंग सेंटर न केवल किसानों के कठिन परिश्रम को कम करता है बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपकरणों की आसान पहुँच सुनिश्चित करता है।

कृषि पोषक उद्यान

स्वंय सहायता समूहो के सदस्यों के लिए पूरे वर्ष पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए कृषि पोषक उद्यानों की स्थापना की जाती है। स्वयं सहायता समूह परिवारों में अब तक 2.64 करोड़ से अधिक कृषि पोषक उद्यान स्थापित किए जा चुके है।[17]

उत्पादक समूह तथा उत्पादक उद्यम

बाजार का ठीक से लाभ उठाने के लिए किसानों का सामूहिक रूप कारगर होता हैं। इसी कारण से डीएवाई–एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त महिला उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर उत्पादक समूहों (अनौपचारिक संस्थाओं) तथा ब्लॉक या जिला स्तर पर बड़े उद्यमों (औपचारिक संस्थाओं) के गठन में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार महिला सदस्यों को एकत्रीकरण, मूल्यवर्धन और विपणन जैसे उपायों के माध्यम से अपने उपज के लिए बेहतर बाजार तक पहुंचने में सहायता मिलती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने, परियोजना के विकास में सहायता व तकनीको विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए टाटा ट्रस्टों के समर्थन से एक सेक्शन आठ कंपनी 'फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रुरल वैल्यू चेन' की स्थापना की है। यह डीएवाई–एनआरएलएम की राज्य इकाइयों को बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के माध्यम से मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने में सहायता करता है।

डीएवाई–एनआरएलएम के तहत अब तक 1245 महिला स्वामित्व वाले उत्पादक उद्यमों या किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना की गई है जिसमें लगभग 15 लाख महिला सदस्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 1.78 लाख उत्पादक समूहों को भी सहायता प्रदान की गई जिसमें 32 लाख महिला सदस्य शामिल हैं।[18]

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)

डीएवाई–एनआरएलएम की उप–योजना स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है जो कि गैर कृषि आजीविका रणनीति का हिस्सा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायो की सहायता के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र का विकास किया गया है जिसमें व्यापार सहायता सेवाएं, विशेषज्ञता, सीड कैपिटल, व्यापार तथा तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए घटक शामिल हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए इन सेवाओं के साथ एक ब्लॉक को संतृप्त करता है। अब तक 31 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 280 ब्लाकों में लगभग 3.13 लाख उद्यम को सहायता उपलब्ध कराई गई है।[19]

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई)

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए डीएवाई–एनआरएलएम के तहत एक उप–योजना है। वाहनों के स्वामी, स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के सदस्य होते हैं और वे ही इनका संचालन करते हैं। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की गयी थी और वर्तमान मे 26 राज्यों में 2297 वाहन संचालित है[20] जो समूह के सदस्यों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के अलावा दूर दराज के गांवों को बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँच सहित सेवाओं और सुविधाओं से जोड़ते है।

महिला उद्यम त्वरण निधि

महिला उद्यमियों को व्यवहार्य उद्यमों में निवेश करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें मध्यम अवधि से दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराने और उत्प्रेरित करने के लिए विशिष्ट रूप से महिला उद्यम त्वरण निधि की स्थापना की गयी है। यह निधि पहली बार उद्यमी बनी महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और मौजूदा महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ाने और स्केल–अप करने हेतु सहयोग भी देगा।[21]

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई)

यह 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है जो ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के प्रदान करके उनकी नियमित श्रम बाजारों में भागीदारी को सुगम बनाता है। इस प्रकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां प्रदान करता है। डीडीयू–जीकेवाई के अंतर्गत

33 प्रति ात महिलाओं का कवरेज अनिवार्य है। डीडीयू–जीकेवाई के तहत पिछले पांच वषो में प्रशिक्षित और नियुक्त कुल उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है[22]–

वित्तीय वर्ष	क्ल		महिला	
	प्रशिक्षित	नियुक्त	प्रशिक्षित	नियुक्त
2019–20	247177	150214	126691	66440
2020–21	38289	49563	19685	22640
2021–22	97006	45612	58443	26040
2022–23	231491	158078	133519	92065
2023–24	199524	157456	122250	94684
2024–25 (दिसम्बर,24 तक)	69086	53810	43228	33646

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

डीएवाई–एनआरएलएम की इस उप–योजना की स्थापना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा ग्रामीण युवाओं (महिलाओं सहित सभी श्रेणियाँ) को आवश्यक काशल प्रशिक्षण प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु की गयी है। बैंक, चयन, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद के चरणों में पूरी तरह से शामिल होते हैं। जिले में अग्रणी बैंक आरएसईटीआई के निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है। वर्तमान में 577 जिलों में 591 आरएसईटीआई कार्य कर रहे हैं।[23] वित्त वर्ष 2014–15 से वित्त वर्ष 2024–25 (नवंबर 2024 तक) तक आरएसईटीआइ के अंतर्गत प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के लिए जारी की गई कुल धनराशि 89639.09 लाख रुपए है।[24] इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में प्रशिक्षित आर व्यवस्थित कुल उम्मीदवार और महिला उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है[25]–

वित्तीय वर्ष	क्ल		महिला	
	प्रशिक्षित	नियुक्त	प्रशिक्षित	नियुक्त
2019–20	384025	281645	274135	202010
2020–21	255141	185234	206794	138538
2021–22	314114	256429	257107	212400
2022–23	409802	325880	331898	272977
2023–24	451419	350272	360318	290392
2024–25(दिसम्बर,24 तक)	471968	299356	382796	249717

ई–मार्केटिंग

देश में ई–विपणन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसका लाभ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गये हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए जीईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में "सारस कलेक्शन" बनाया है। साथ ही, मंत्रालय और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़न के बीच क्रमशः मंत्रालय और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़न के बीच क्रमशः 2 नवंबर, 2021 और 12 मई, 2022 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं, जिससे कि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम और अमेज़न सहेली पहल के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान किया जा सके। एसएचजी के ऑनलाइन विपणन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर, 2022 को पतंजलि के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए मंत्रालय द्वारा एक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी लॉन्च किया गया है। एसएचजी उत्पादों की ऑनबोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के बीच 16 फरवरी, 2023 को और जियो मार्ट (रिलायंस रिटेल लिमिटेड) के बीच 8 दिसंबर, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने एसएचजी के उत्पादों के विपणन का समर्थन करने के लिए अपना स्वयं का ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है।[26]

4. तालमेल तथा सहभागिता

डीएवाई–एमआरएलएम का मानना है कि स्वयं सहायता समूहों की सभी सदस्यों को लाभ देने के लिए भारी प्रयास की आवश्यकता है। अतः गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से सीधे तालमेल विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर बहुत अधिक ज़ोर दिया जाता है। निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों और डीएवाई–एनआरएलएम के बीच अभिसरण सुनिश्चित किया गया है–

- कृषि और किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- महात्मा गाधी राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग
- पशुपालन डेयरी विभाग (डीएचड)ा और मत्स्य पालन
- टाइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

डीएवाई–एनआरएलएम लाभार्थियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है–

2024–25 के दौरान, 4.93 करोड़ एसएचजी सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत नामांकित किया गया है। 6.14 करोड़ को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत और 7.92 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जेएवाई) के तहत कवर किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएम एफएमई) योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से इसके बीज पूंजी घटक के लिए लागू किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/एसएचजी सदस्यों को एमओएफपीआई द्वारा 40,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जा रही है। 31 अक्टूबर, 2024 तक 2,51,193 एसएचजी उद्यमियों को 831.27 करोड़ रुपये की बीज पूंजी के साथ सहायता प्रदान की गई है।

डीएवाई–एनआरएलएम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही परम्परागत कृषि विकास परियोजना (पीकेवीवाई) के साथ भी जुड़ रहा है, जिसका उद्देश्य महिला किसानों को भूमि की तैयारी, तरल जैव–उर्वरकों की आपूर्ति, बीज की तैयारी, जैविक बीजों की खरीद, अजोला गड्ढों का निर्माण, रोग और कीट नियंत्रण में सहायता, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)/टूल बैंक की स्थापना, मवेशी शेड/मुर्गी शेड/सूअरबाड़े का निर्माण, जैविक उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग, मृदा परीक्षण, जैविक प्रमाणीकरण तथा महिला किसानों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए इनपुट सहायता प्रदान करना है।

पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लाभों तक पहुंच के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें गरीब भूमिहीन किसानों, विधवाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दुधारू पशु

उपलब्ध कराना, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और मुर्गीपालन की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना, गांव और परिवार के स्तर पर सूक्ष्म स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना, मत्स्यपालन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना और कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।[27]

उपसंहार

डीएवाई–एनआरएलएम ने ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीएवाई– एनआरएलएम के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए 2019–20 में विश्व बैंक के सहयोग से इंटरनेशनल इनीशिएटिव फॉर इंपैक्ट एसेसमेंट (3आईई) द्वारा आयोजित एक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में यह पाया गया कि डीएवाई एनआरएलएम ने बचत में वृद्धि, अनौपचारिक ऋणों की हिस्सेदारी में कमी, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में सुधार, अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुँच और परिवार की आय स्रोतों के अहम सुधार में योगदान दिया है। इस प्रकार सरकारों ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीएवाई एनआरएलएम कार्यक्रम के माध्यम से अब तक कई कदम उठाए हैं जिससे वे हर क्षेत्र म पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकी हैं लेकिन अब भी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

REFERENCES

1.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3

2.https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/Notifications.aspx?Id=6656&Mode=0

3. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 358

4.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B9

5. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 358

6. https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.do?methodName=dashboard

7. https://aajeevika.gov.in/what-we-do/universal-financial-inclusion

8. https://aajeevika.gov.in/what-we-do/universal-financial-inclusion

9.https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/Notifications.aspx?Id=7837&Mode=0

10.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95-%E0%A4%8B%E0%A4%A3

11.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3

12. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 358

13.https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/Notifications.aspx?Id=7837&Mode=0

14.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%B2%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0

15. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 359

16. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 359

17. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 359

18.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95-%E0%A4%8B%E0%A4%A3

19. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 359

20. आर्थिक समीक्षा 2024 25 पृष्ठ संख्या 359

21.https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/Notifications.aspx?Id=7837&Mode=0

22. https://rural.gov.in/en/press-release/empowerment-women

23.https://rural.gov.in/en/press-release/women-empowerment-under-deendayal-antyodaya-yojana-%E2%80%93-national-rural-livelihoods

24.https://rural.gov.in/en/press-release/rural-self-employment-training-institutes-rseti-scheme

25. https://rural.gov.in/en/press-release/empowerment-women

26. https://rural.gov.in/en/press-release/self-help-groups

27.https://rural.gov.in/hi/press-release/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A4%AF-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%86%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3